उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–16/2022–23

सरकार

बनाम्

आशुतोष रंजन एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 17/1/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला बसंतराय थाना काण्ड संख्या–49/2021 दिनांक–07.06.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–1672/अप0शा0 दिनांक–11.05.2022 से धारा–147/149/379/341/323/332/333/353 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी अंचल अधिकारी, बसंतराय के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–147/149/379/341/323/332/333/353 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं

चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक आशुतोष रंजन, पिता–बालकृष्ण झा, ग्राम–बनियाडीह, थाना–बसंतराय, जिला–गोड्डा एवं 2. महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक मुकेश यादव, पिता–स्व0 महेन्द्र यादव, सा0–परसिया, थाना–बसंतराय, जिला–गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उस पर लदे बालू के विरूद्ध धारा–147/149/379/341/323/332/333/353 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षीगण की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी आशुतोष रंजन का कथन है कि यह बात सच है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141 विपक्षी के पिता के नाम से लिया गया था और उक्त ट्रैक्टर कृषि के उद्देश्य से लिया गया था। लेकिन बाद में दिनांक–26.03.2021 को जगदंबी यादव, पे0–महेन्द्र यादव, सा0–परासी, थाना –बसंतराय, जिला–गोड्डा को बेच दिया है। सभी जबाबदेही उक्त ट्रैक्टर का जगदंबी यादव का होता है और जगदंबी यादव की गलती है कि उन्होंने अपना नाम हस्तांतरित नहीं किया है।

विपक्षी मुकेश कुमार का कथन है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश के आलोक में अग्रिम जमानत मिल गया है। चूँकि जप्त वाहन थाना परिसर में खुले स्थान में पड़ा हुआ है और व्यवसायिक वाहन होने के कारण आर्थिक क्षति हो रहा है। इसलिए जप्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। बालू प्रश्नगत

वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में अंचल अधिकारी, बसंतराय द्वारा जप्त किया गया है। मामला बसंतराय थाना काण्ड संख्या–49/2021 दिनांक–07.06.2021, भा0द0वि0 की धारा–147/149/379/341/323/332/333 /353 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर पोड़ैयाहाट थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण का जप्त वाहन 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को अबंदोवस्त बालू घाट से बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH17S-1141	0		00	00	00	8000.00
JH17P-5167	0		00	00	00	8000.00

एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17S-1141, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-5167, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.04 11:45:06 +05:30
Location: 172.23.192.1